

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं0 सं0—एस0आई0पी0दी0 2017000224.....
सेवा में,

दिनांक— मार्च, 2018

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।
विषय— मेसर्स मेहता स्टार होटल, गया द्वारा शिकहर, मानपुर, गया में आवासन (होटल) की ईकाई स्थापना हेतु टर्म लोन पर व्याज अनुदान के रूप में कुल रु 13,05,835.00 (मात्र तेरह लाख पाँच हजार आठ सौ पैंतीस रुपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
आदेश: स्वीकृत।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स मेहता स्टार होटल, गया द्वारा शिकहर, मानपुर, गया में आवासन (होटल) की ईकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक दिनांक 08.03.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 04.09.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय उद्योग मंत्री उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई पर्यटन प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक SIPB2017000224/680, दिनांक 29.11.2017 के द्वारा श्री राजन कुमार उपाध्याय, उप निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना एवं श्री मकेश्वर द्विवेदी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 31.03.2017 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मेसर्स मेहता स्टार होटल, गया द्वारा शिकहर, मानपुर, गया में आवासन (होटल) की ईकाई स्थापना के निमित्त लिए गए दिनांक—01.04.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि के टर्म लोन पर व्याज अनुदान के रूप में कुल रु 13,05,835.00 (मात्र तेरह लाख पाँच हजार आठ सौ पैंतीस रुपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः—

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन—उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री / लीज / हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।
- (iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।
- (iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत व्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू—राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय वहन “स्वीकृत्यादेश सं0—1014, दिनांक—14.03.18 एवं सहपठित पत्रांक—1028, दिनांक—15.03.2018 एवं आवंटनादेश सं0—138/आ0, दिनांक—15.03.2018 एवं सहपठित पत्रांक—140, दिनांक—19.03.18 के आलोक में मांग संख्या— 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष— 2852— उद्योग, उप मुख्य शीर्ष— 80— सामान्य, लघु शीर्ष—102—औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष— 0160— प्री—प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विप्रत्र कोड— 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष— 0160.33 01 सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017—18 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित आवंटित राशि से की जाएगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान मेसर्स मेहता स्टार होटल, गया को उनके कॉरपोरेशन बैंक, गया में Account No.- 510101000695857, IFSC Code- CORP0001266 में RTGS/Bank Draft के माध्यम से की जाएगी।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक— मार्च, 2018

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 2017000224.....

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक— मार्च, 2018

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 2017000224.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 2017000224.1331

दिनांक— 28 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-1 (सरकार) / अई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स मेहता स्टार होटल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।